

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

संख्या :- 175/2024

मोरूपाल उर्फ मोहरपाल बनाम सरकार

देनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
08.05.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सरकार का जवाब प्राप्त हुआ जो संलग्न है। बहस वकील प्रार्थी की सुनी गई। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0टे0 एक्ट बाबत का पेश किया है। प्रार्थी विवादित भूमि खसरा नंबर. 164 लगायत 255, 637, 638, 643, 644, 645, 646, 647, 648 कुल कित्ता 100 कुल रकबा 18.71 है0 एवं खाता संख्या 32 के खसरा नंबर 728, 729, 730 कुल कित्ता 3 कुल रकबा 3.79 है0 वाके ग्राम विशनपुरा तहसील कोटखावदा एवं खाता संख्या 24 के खसरा नंबर 64 कुल कित्ता 1 कुल रकबा 0.04 है0 एवं खाता संख्या 29 के खसरा नंबर 138, 139, 324, 325, 326 कुल कित्ता 5 कुल रकबा 0.60 है0 एवं खाता संख्या 30 के खसरा नंबर 10, 11, 65, 66, 80, 100, 101, 155, 208, 209, 210, 211, 212, 345, 347, 374, 442, 449, 450, 451, 455, 462, 478/498, 479 कुल कित्ता 24 कुल रकबा 5.05 है0 एवं खाता संख्या 8 के खसरा नंबर 309, 310, 386 कुल कित्ता 3 कुल रकबा 0.12 है0 वाके ग्राम कांकरिया तहसील कोटखावदा जिला जयपुर के रिकोर्डेड काबिज काश्तकार होना बताया है। रिकार्ड में प्रार्थी का नाम मोहरपाल पुत्र रतना दर्ज होना बताया है जबकि उनके प्रार्थी का वास्तविक नाम मोरूपाल उर्फ मोहरपाल पुत्र रतनलाल दर्ज होना बताया है।</p> <p>प्रार्थी/वादीगणों के इस आशय का शपथ पत्र पेश किया है कि प्रतिवादी सरकार ने जवाब ने जाहिर किया है कि विवादित भूमि मे प्रार्थी का नाम विरासत से दर्ज हुआ है। उसके उपरान्त राजस्व रिकार्ड में मोहरपाल पुत्र रतना के नाम दर्ज चली आ रही है।</p> <p>अप्रार्थी ने अपने जवाब में यह सिद्ध नहीं किया है कि मोहरपाल पुत्र रतना एवं मोरूपाल उर्फ मोहरपाल पुत्र रतनलाल नाम का कोई अन्य व्यक्ति बतौर खातेदार उक्त भूमि पर काबिज है।</p> <p>अतः प्रार्थी के शपथ पत्र एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर यह स्वीकार किया जाता है कि मोहरपाल पुत्र रतना एवं मोरूपाल उर्फ मोहरपाल पुत्र रतनलाल एक ही व्यक्ति है। अतः प्रार्थी का नाम विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में मोरूपाल उर्फ मोहरपाल पुत्र रतनलाल दर्ज किया जावे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो।</p> <p>पत्रावली फौसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।</p>	

36
उपखण्ड अधिकारी
चाकसू(जयपुर)